

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनैन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:--925 बी० एस० एम० एफ० सी०, /

पटना, दिनांक: --04.06.2020

स्वीकृत्यादेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या-3060 दिनांक-03.012.2016 के आलोक में राज्य सम्पौषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक -17.07.2017 से 21.07.2017 को चयनित प्रक्षेत्रवार आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा गोपालगंज जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतान के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

SI N O	चयन सूची क्र०सं०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Embossin g Charge- 2030/-	Net Payable Amount
1.	42	MD FIROJ ALAM, S/o- MD ISLAM, Vill.-BASDILA KHAS, Block-GOPALGANJ, PS- GOPALGANJ, PO-BASDILA, Distt.-GOPALGANJ-841428, Mob:- 9931872010	A/c No.:- 253610100010554 UBIN0919888	MURGI PALAN	200000	1000	2030	196970
2.	01	ZAHAID PERVEZ ANSARI, S/o- SERAJUDDIN ANSARI, Vill.- GULAM HUSSAIN TOLA, Block-MANJHA, PS-MANJHA GARH, PO-MANJHA GARH, Distt.-GOPALGANJ-841427, Mob.,9934645656	A/c No.:- 32948460974 SBIN0014308	MEDICAL STORE	300000	1500	2030	296470
TOTAL					500000	2500	4060	493440

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक: 31-8-2022

ज्ञापक: 2955

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज/सभी ऋणधारकों/लेखा शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूट सेल)/ प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी एवं आई0 टी0 मैनेजर को SMS करने हेतु सूची प्रेषित ।

प्रबंध निदेशक